न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 126/2011

श्री हेमराज पुत्र श्री मिठूलाल जाति कुम्हार आयु बालिग निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 ————वादी

ब ना म

1– श्री भंवरलाल मुतबन्ना श्री कजोड जी जाति कुम्हार आयु बालिग निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

2– श्री शंकरलाल पुत्र श्री गंगाराम जी जाति कुम्हार आयु बालिग निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

3– श्रीमति फूली पत्नि श्री गंगाराम जी जाति कुम्हार आयु बालिग निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0––मृतक––

4– श्री चेतन पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र जी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति मंजू पत्नि स्व0 श्री रमेशचन्द्र जाति कुम्हार निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

5– श्री शिवा पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति मंजू पत्नि स्व0 श्री रमेशचन्द्र जाति कुम्हार निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

6– सुश्री पूजा पुत्री स्व0 रमेशचन्द्र जी आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति मंजू पत्नि स्वं0 श्री रमेशचन्द्र जाति कुम्हार निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर

7– श्रीमति मंजू पत्नि स्व0 श्री रमेशचन्द्र जी जाति कुम्हार आयु बालिग निवासी विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

8– श्री परमवीरसिंह पुत्र श्री गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी रूपाहेली कलां तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा राज0

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज.

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 7.2.2018

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी, अजमेर के यहां से अपील निर्णय दिनांक 12.12.2014 के अनुसार पत्रावली को रिमाण्ड किया जाकर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित करने का आदेश दिए हैं। जिसके अनुसार वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम विजयनगर में खसरा नंबर 547/1 रकबा 01–19–03 वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व आराजी खसरा नंबर 550 रकबा 10 बिस्वांसी व खसरा नंबर 545 रकबा 4 बिसवा राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम पर बतौर खाातेदार दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल अपने पिता मिठूलाल के जीते जी कजोड के गोद चला गया जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02.04.1999 को पंजीबद्ध करवाया जो कि भंवरलाल, कजोड की आराजियात पर ही काश्त करता चला आ रहा था तथा कजोड की मृत्यु के बाद बतौर खातेदार कजोड का हिस्सा अपने नाम दर्ज करा लिया और उसी पर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी खसरा नंबर 547/1 सहवन से मिठूलाल की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस के रूप में भंवरलाल एंव वादी का नाम दर्ज हुआ जो कि भंवरलाल, कजोड के गोद चला गया फिर भी सहवन से भंवरलाल का नाम दर्ज हो गया जो गलत है। आराजी खसरा नंबर 545 व 550 में प्रतिवादी भंवरलाल का नाम कजोड के गोद जाने से कजोड के वारिस के रूप में दर्ज हुआ लेकिन मिठूलाल के वारिस के रूप में भी भंवरलाल का नाम दर्ज हुआ जो गलत इन्द्राज हुआ है। वादी एंव प्रतिवादीगण के बीच एक राजस्व बंटवारा बाबत प्रकरण संख्या 33/1990 पेश

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

किया जिसमें दिनाक 02.03.1990 को निर्णय हुआ कि आराजी चाह खसरा नंबर 545 में 1/2 हिस्सा कजोड के नाम व 1/2 हिस्सा वादी एंव वादी की माता श्रीमति गुलाबी देवी के नाम व चाह खसरा नंबर 550 में 1/2 हिस्सा गंगाराम के नाम जो प्रतिवादी संख्या 2 से 7 है व 1/2 हिस्सा वादी एंव वादी की माता के नाम दर्ज करने की डिक्री हुई और उसी के मुताबिक दिनाक 30.06.1999 को मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें भी डिक्री के अनुसार

.....लगातार

उक्त हिस्सा बाबत दर्ज किया गया और मौके पर उसी के अनुसार काबिज है। वादी आराजी खसरा नंबर 547/1 में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का नाम हटाने व आराजी खसरा नंबर 550 व 545 में मिठूलाल के वारीसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाने व आराजी खसरा नंबर 550 व 545 में डिक्री के मुताबिक दोनो नंबरो में वादी का 1/2 हिस्सा व चाह खसरा नंबर 550 में प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का 1/2 हिस्सा व चाह खसरा नंबर 545 में प्रतिवादी संख्या 1 व 8 का 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी खसरा नंबर 547/1 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है, उसे हटाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी को खातेदारी अधिकार नही दिये गये तो वादी अपनी पुश्तैनी आराजी में निहित अपने हिस्से से सदैव के लिये वंचित हो जायेंगा वादी को प्रतिवादीगण ने नाजायज कृत्य की जानकारी दिनांक 25.09.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा जमीन को अन्य को विक्रय जबरन बेदखल करने व ऋण प्राप्त कर भारित करने की धमकी देने से हुई इसलिये इस वाद की आवश्कता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि आराजी खसरा नंबर 547 में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का नाम हटाया जावे तथा खसरा नंबर 550 व 545 में मिठूलाल के वारिस के रूप में भंवरलाल का नाम हटाने तथा उक्त खसरा में डिक्री के मुताबिक दोनो चाह में वादी का 1/2 हिस्सा व आराजी खसरा नंबर 550 में प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का 1/2 हिस्सा व आराजी खसरा नंबर 545 में प्रतिवादी संख्या 1 व 8 का 1/2 हिस्सा व आराजी खसरा नंबर 547/1 में प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने की डिक्री पारीत की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि से वादी को काश्त करने से नही रोके तथा विवादित भूमि को बेचान रहन पंजीकरण आदि नही करे तथा वादी को बेदखल कर दिया जाता है, तो पुनः कब्जा दिलाया जावे। तथा वाद का खर्चा दिलाया जावे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के यहां से पत्रावली प्राप्त होने के बाद प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस जारी होने के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नही हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उनके अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी उन्होने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण से उनके जवाबदावे का हक बंद किया गया जाकर पत्रावली में साक्ष्य तलब की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई जिसमें वादी हेमराज पुत्र मिठूलाल एंव अजय पुत्र अशोककुमार एंव महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह ने अपने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र का समर्थन किया गया। बहस अंतिम में वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पसूदा (अजमेर)

बहस के परिप्रेक्ष्य में, मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात ग्राम बिजयनगर की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 88 में खसरा नंबर 547/1 रकबा 01–19–03 किस्म चाही.1 भंवरलाल, हेमराज पिसरान मिठूलाल, एंव लाल स्याही से जरिये रिलीजडीड के द्वारा गुलाबदेवी के स्थान पर हेमराज पुत्र मिठूलाल का नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 92 मे खसरा नंबर 550 रकबा 00–00–10 किस्म चाही.1, 545 रकबा 00–04–00 किस्म गै.मु.चाह भंवरलाल मुतबन्ना कजोड, कलावती पुत्री कजोड 1/3 हिस्सा शंकरलाल, रमेशचन्द पिसरान गंगाराम, फूलीदेवी पत्नि गंगाराम 1/3 हिस्सा, भंवरलाल, हेमराज पिसरान मिठूलाल गुलाबदेवी पत्नि मिठूलाल 1/3 हिस्सा एंव लाल स्याही से जरिये रिलीजडीड के अनुसार गुलाबदेवी के स्थान पर हेमराज एंव रजिस्टर्ड बेचाननामे से कलावती पुत्री कजोड के स्थान पर परमवीरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह का नाम दर्ज होना पाया गया। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02.04.1999 के द्वारा कजोड पुत्र नन्दराम ने भंवरलाल पुत्र मिठूलाल को गोद लिया जाना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तकरण सं. 782 दिनांक 25.06.2008 द्वारा कजोड पुत्र नन्दा के स्थान पर खसरा नंबर 546/2, 547/2 में भंवरलाल

.....लगातार

दत्तक पुत्र कजोड, कलावती पुत्री कजोड़ कौम कुम्हार के नाम नामान्तकरण खोला जाना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी राजीनामा व डिक्री के अनुसार गंगाराम पुत्र नन्दा बनाम कजोड वगैरह में खसरा नंबर 545, 546, 547, 549, 550, 551 के विषय में विभाजन की डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा दिनांक 07.03.1990 के द्वारा पारीत किया जाना पाया गया। उक्त विवेचन के आधार पर कजोड द्वारा जब भंवरलाल को गोद लिया जा चुका है, तथा कजोड की मृत्यु के बाद भंवरलाल ने कजोड की खातेदारी की भूमियो में गोदनामे के आधार पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो भंवरलाल अपने जायन्दा पिता मिठूलाल की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी की भूमियो में जरिये वारिस अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नही पाया जाता है। तथा प्रतिवादीगण ने भी वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई विरोध नही किया और अपनी एकतरफा कार्यवाही करवा ली। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम विजयनगर में खसरा नंबर 547/1 रकबा 01–19–03 में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का नाम खातेदारी से निरस्त करने एंव खसरा संख्या 550 व 545 में मिठुलाल के वारिस के रूप में भंवरलाल का नाम हटाने/निरस्त करने तथा खसरा नंबर 550 रकबा 10 बिस्वांसी में वादी को 1/2 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 का 1/2 हिस्सा व खसरा नंबर 545 रकबा 4 बिस्वा में वादी को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंबर 547/1 से बेदखल कर कब्जा वादी को दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार पालना करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है, कि वादी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 15:46:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: